न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 206 / 2018

आरसीएमएस नं. 2018 / 00328

आशीष पुत्र ताराचन्द नाबालिग जरिये कुदरती वली नानी रामेश्वरी पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी बींझबायला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. हजारी राम
2. चुनीराम
3. मानाराम

} पि0 आदूराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

4. कालूराम
5. मोहनलाल
6. रामपाल

} पि0 पारी देवी पुत्री आदूराम पत्नी ख्यालीराम जाति जाट निवासी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

7. कमला पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर श्रीगंगानगर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।
9. मीरां पुत्री हजारीराम पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी जाखड़ांवाली हाल हिन्नासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर पीलीबंगा, दिनांक 10.12.2014

प्रकरण संख्या 38 / 2012 अनवान आशीष बनाम हजारीराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः–

श्री देवदत्त भिड़ासरा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री जगजीत सिंह रमाणा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 8

निर्णय दिनांक 14.X.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट की तरफ से कुदरती वली उसकी माता इन्द्रादेवी ने विचारण न्यायालय में रेस्पो0 सं0 1 हजारीराम दादा अपीलाण्ट के विरूद्ध संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद चक 4 एसटीबइी व चक 2 जेड डब्लयू की भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा हेतु ववाद प्रस्तुत किया इस वाद के साथ धारा 212 आरटीएक्ट के तहत अपीलाण्ट ने अपने 1/3 हिस्सा को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करने का अनुतोष मांगा। रेस्पोडेण्ट ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमि को जद्दी जायदाद न होने का कथन किया व अपीलाण्ट के पिता ताराचन्द को मानसिक रूप से परिपक्व न होने का कथन करते हुए अपीलाण्ट को अपना पौत्र होने से भी इन्कार किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का बिना कोई अवलोकन किये पारित किया है। प्रस्तुत जमाबन्दी चक 2 एसटीबी की 17.963 है0 व चक 2 जेडडब्ल्यू की 3.999 है0 भमि रेस्पो0 सं0 1 हजारीराम पिता आदूराम के नाम दर्ज होनी साबित है। व आदूराम के फौत होने पर रेस्पो0 सं0 1 हजारीराम के नाम दर्ज होनी राजस्व रिकार्ड से साबित है। इससे साबित है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद है अपीलाण्ट संयुक्त परिवार का सदस्य होने के कारण अपने हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र के तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

क्षति के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद होनी राजस्व रिकार्ड से साबित है। अपीलाण्ट बतौर कोपार्श्नर अपने हिस्सा की घोषणा करवाने ाक अाकिारी है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन अपीलाण्ट के पक्ष में पूर्णतया साबित है। अपीलाण्ट के पिता ताराचन्द मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है व रेस्पो0 सं0 1 अन्य व्यक्तियों के प्रभाव में आकर भूमि को रहन बैय व विक्रय करने पर उतारू है यदि रेस्पेडेण्ट सं0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायला ने मुख्य आधार यह अंकित किया है कि दादा के जीवनकाल में पौत्र को अधिकारें की घोषणा करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है व यह भी कथन किया कि अपीलांट, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का पौत्र है या नहीं यह वाद मे निर्धारित होगा जबकि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद में कोई भी कोपाश्नर अपना हिस्सा घोषित करवा सकता है। अपीलाण्ट रेस्पो0 सं0 1 का पोत्र व ताराचन्द का पुत्र है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया है। जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि नहीं है। बल्कि अप्रार्थी सं0 1 की कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 के जीवित रहते प्रार्थी/अपीलाट हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 का पुत्र ताराचन्द मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है। अपीलाण्ट की माता इन्द्र देवी ताराचन्द की मानिसक अवस्था का फायदा उठाते हुए करी 10 साल से उसके साथ नहीं रह रही है। अलग रूप से अपनी मर्जी से बिना बताये रह रही है। अपीलाट ताराचन्द के नत्फे से पैदा नहीं हुआ है। वह अप्रार्थी सं0 1 का पौत्र नहीं है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट की भूमि को हड़पने के लिए यह वाद एवं प्रार्थना–पत्र पेश किया है। अपीलाण्ट का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणागुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि में अपना 1/3 हिस्सा होने का कथन करते हुए प्रश्नगत भूमि को रहन बैय नहीं करने व मुन्तकिल न करने का अनुतोष मांगा था जो खारिज किया गया है। प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलांट रेस्पोडेट सं0 1 का पौत्र है अथवा नहीं तथा दादा के जीवनकाल में पौत्र की अधिकारें की घोषणा करने का अधिकार है अथवा नहीं, प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है अथवा नहीं, आदि तथ्य तथा प्रश्नगत भूमि में उभयपक्ष के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तय होने है। यदि मूल वाद के विचाराधीन रहते हुए प्रश्नगत भूमि को रहन बैय कर दिया जाता उभयपक्षों के मध्य वाद की बहुलता बढेगी। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2014 निरस्त किया जाता है एवं धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रकरणम ं वर्णित भूमि चक 4 एसटीबी की 3.748 है0 व चक 2 जेडडब्ल्यू की 3.999 है0 भूमि में से अपीलाण्ट के हिस्सा की भूमि 1/3 हिस्सा की भूमि को ताफैसला वाद रहन बैय अथवा मुन्तकिल नही करें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.X.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/X/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़